न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 265/2021

प्रार्थीगण :–

1. रूपाराम पुत्र इन्दाराम
2. चौथाराम पुत्र इन्दाराम
3. मींयाराम पुत्र मगाराम
4. घमण्डाराम पुत्र मगाराम
5. कानाराम पुत्र लालुराम जाति जाट निवासीयान जास्ती
6. कमलादेवी पत्नी मूराराम जाति जाट निवासीयान बाडियों की ढाणी कोरना तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर
7. सूराराम पुत्र मूलाराम
8. भंवराराम पत्रु सुरताराम
9. दीपाराम पुत्र सुरताराम
10. माखरराम पुत्र सुरताराम
11. मोमाराम पुत्र सुरताराम
12. बाबुदेवी पत्नी गोरखाराम
13. सजनादेवी पत्नी गोकलाराम
14. मगवानराम पुत्र गोकलाराम
15. रमेश पुत्र गोकलाराम
16. नरेश पुत्र गोकलाराम जाति देवासी निवासीयान जास्ती तह0 कल्याणपुर जिला बाड़मेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पीराराम पुत्र बुधाराम
2. भींयाराम पुत्र बुधाराम
3. दौलाराम पुत्र पन्नाराम
4. हनुमानराम पुत्र पन्नाराम
5. समु बैवा पन्नाराम
6. गोरखाराम पुत्र पन्नाराम जाति देवासी नाबालिंग
7. मादाराम पुत्र पन्नाराम देवासी नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता समु बैवा पन्नाराम जाति देवासी निवासियान जास्ती तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
8. बाबुराम पुत्र सूराराम
9. सुखाराम पुत्र सूराराम
10. मालाराम पुत्र सूराराम
11. लेहरो बैवा धीराराम
12. ओमाराम पुत्र धीराराम
13. करनाराम पुत्र धीराराम
14. हीराराम पुत्र गोकलाराम
15. तेजाराम पुत्र गोकलाराम
16. जोधाराम पुत्र गोकलाराम जाति देवासी निवासीयान आलों की ढाणी कोरना तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी कल्याणपुर
18. जड़ाव पत्नी सुराराम जाति देवासी निवासी आलो की ढाणी कोरना तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा ★ बालोतरा ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.29 15:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :– 1 श्री देवीसिंह, प्रार्थीगण

2. श्री नरपतसिंह, विप्रार्थी संख्या –18

3. विप्रार्थी संख्या 1 से 16 एकतरफा

दिनांक :– 16.12.2022

आदेश

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी संख्या –1 की खातेदारी के खेत के खसरा न0 506/144 रकबा 3–07 बीघा किस्म बारानी दोयम व प्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 337/144 रकबा 3–07 बीघा किस्म बारानी दोयम व प्रार्थीगण संख्या 7 से 16 के खेत खसरा संख्या 124 रकबा 104 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 125 रकबा 0–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी व प्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 496/419, 501/419, 498/306 में से समर्पित भूमि खसरा नंबर 495/419 रकबा 0–03 किस्म बा. दोयम 497/336, रकबा 0–4 बीघा विप्रार्थी संख्या 17 के नाम दर्ज है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 16 व 18 के खसरा की खातेदारी 335/143 रकबा 17–06 बीघा में से रास्ता राजस्व गांव जास्ती पटवार हल्का गंगावास भू. अभि. निरी. क्षेत्र मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर में से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ए' में बरंग लाल से मार्क ए सें बी रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 व 18 की खातेदारी 335/143 में से रास्ता के उपयोग हेतु इरादे से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एवं ए से सी प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 506/144 रकबा 03–07 बीघा व 337/144 रकबा 03–07 बीघा में से रास्ता के उपयोग हेतु स्वीकृति प्रार्थीगण की होने से रास्ता दिलावे व मार्क सी से डी विप्रार्थी संख्या 17 तहसीलदार के नाम समर्पित भूमि खसरा संख्या 495/419 व 497/336 समर्पित सरकारी भूमि किस्म बारानी दोयम में किस्म परिवर्तीत कर रास्ता दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ए' में बरंग लाल मार्क ए से बी विप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 व 18 से 24 फीट चौडा रास्ता व मार्क ए से सी प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 रास्ता देने के लिए तैयार एवं तत्पर है [illegible] सी से डी विप्रार्थी संख्या 17 की समर्पित भूमि प्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के उपयोग के लिए रास्ता किस्म परिवर्तित किया जाकर संपूर्ण रास्ता परिशिष्ट [illegible] मार्क बी से डी 24 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु कायम करने नि[illegible]न किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.29 15:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी कर, नोटिस बाद तामिल पेश होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.4.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णित किया गया । इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध विप्रार्थी संख्या 01, 5 ता 8, 10 ता 11 एवं 14 ता 16 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष राजस्व अपील / 225/ रा.क. अधि./105/2022/ बाडमेर पेश की जो पत्र कमांक :– न्याय/रा.अ.अ/बाडमेर/2022/1308 दिनांक 22.9.2022 द्वारा इस न्यायालय को मूल पत्रावली मय अपील निर्णय दिनांक 21.09. 2022 की प्रति के संलग्न दिनांक 27.9.2022 को प्राप्त हुई । माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.4.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि ''उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 29.11.2022 को उपस्थित हो ''।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की पालना मे प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्टगण) जरिये वकील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर दिनांक 29.11.2022 को प्रकरण पुनः दर्ज किया गया । विप्रार्थीगण (अपीलांटगण) की ओर से न्यायालय मे असालतन व वकालतन कोई उपस्थित नही हुए जिन्हे न्यायहित मे सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 9.12.2022 को पत्रावली सुनवाई हेतु रखी गयी । उक्त दिनांक पर विप्रार्थीगण (अपीलांटगण) अनुपस्थित । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि माननीय अपीलांट न्यायालय के निर्णय की अवमानना करते हुए लगातार विप्रार्थीगण अनुपस्थित रह रहे है । प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी पी सी व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी पर विप्रार्थी संख्या 18 को समुचित अवसर जबाब का देते हुए जबाब पेश नही करने पर जबाब बंद करते हुए प्रार्थीगण को सुना जाए। प्रार्थीगण वकील के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्रों पर विधि अनुसार विप्रार्थीगण को समुचित समय देते हुए जबाबदेही बंद की गयी तथा प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थी संख्या 18 जड़ाव पत्नी सुराराम को बतौर विप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान किये गये व संशोधित प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया एवं न्यायहित मे विप्रार्थी [illegible] को जवाब पेश करने व सुनवाई का अवसर प्रदान [illegible] पर्याप्त अवसर देने एव माननीय अपील प्राधिकारी द्वारा निर्देशित करने [illegible] भी विप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थीगण की [illegible] प्रार्थना पत्र पर बहस को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.29 15:05:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता ने मूल प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के विकल्प के अलवा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पहुचने के लिए निकटतम उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है, जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है । प्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 के द्वारा खसरा संख्या 496/419, 501/419, 498/306 मे से खातेदारी भूमि का रास्ता बाबत सर्मपण किया गया जिसके खसरा संख्या 495/419 , 497/336 पूर्व मे रास्ता बाबत भूमि समर्पण कि जा चूकी है जो पत्रावली मे विप्रार्थी संख्या 17 राजस्थान सरकार – जरिये भूमि धारक तहसीलदार कल्याणपुर के नाम दर्ज है। अन्त मे निवेदन किया कि तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2022 से सहमत है विप्रार्थी संख्य –1 पीराराम मौका दिखाने मे उपस्थित था जिसने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया तथा समस्त विप्रार्थीगण को तहसील कार्यालय से दिनांक 28.12.2021 को नोटिस जारी कर जिनकी तामिल विधिवत रूप से करवाई गयी तथा विप्रार्थीगण को डी.एल.सी दर की क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु भी सहमत है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जारी करने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार कल्याणपुर के मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया । बहस पर मनन किया जिस मे पाया कि प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड अनुसार अभिलिखित खातेदार है जिन्हे कृषि कार्य प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने का प्रावधान रा.का.अधि. की धारा 251–ए मे किया गया है । विप्रार्थीगण अपीलीय न्यायालय के निर्देशो के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए इससे प्रतीत होता है कि वे प्रकरण के प्रति गम्भीर नही है एवं मात्र प्रकरण मे देरी करना चाहते है यदि उन्हे किसी भी प्रकार की आपत्ति होती तो वे अपना पक्ष रखने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कल्याणपुर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खेतो तक उनके द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग / सडक जिस पर मुरडा डाला गया उपलब्ध नही है । एवं अन्य कोई नजदीकी रास्ता व सडक उपलब्ध नहीं है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा जास्ती में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 337/144, 506/144, 498/336, 501/419, 496/419 व 124 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से [illegible] खातेदारी खेत खसरा संख्या 335/143 व विप्रार्थी [illegible] 495/419, 497/336 मे से कृषि भूमि के लिए रास्ता नक्शा परिशिष्ट – ए [illegible] 'ए' से 'बी' सी, डी दर्शाये माफिक जो प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के निकटतम रास्ता है तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 337/144 व 506/144 में प्रार्थीगण द्वारा रास्ता हेतु सहमति प्रदान की है तथा खसरा न. 495/419 व ख.स. 497/336 जो प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में राज्य सरकार को रास्ता बाबत समर्पण की गयी है जिसकी किस्म बारानी सोयम है जिसकी किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नया मार्ग तहसीलदार कल्याणपुर के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट –'ए' में मार्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.29 15:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' दर्शाये माफिक भूमि 24 फीट चौड़ा रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु विप्रार्थीगण 1 से 16 व 18 को डी.एल.सी रेट 17,739/ – प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 0–09 विस्वा भूमि की राशि 7983/ रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 15965/– रूपये, प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण खातेदारान को भुगतान करे एवं भुगतान रसीद तहसीलदार कल्याणपुर के कार्यालय में जमा करावें, राशि जमा की रसीद प्राप्त होने पर सम्बन्धित खातेदारान के द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में जमा किये जावें। तहसीलदार कल्याणपुर नियमानुसार रेकर्ड में रास्ता अमल दरामद की कार्यवाही करें एवं राज्य सरकार की तथा समर्पित भूमि की देय राशि 5322 +7,092 = कुल 12,414/– रूपये भूमि की राशि राजस्थान सरकार के खाते में जमा कराने के उपरान्त ही उक्त भूमि की किस्म बारानी सोयम के स्थान पर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करे एवं प्रार्थीगण की सहमति से दी गयी भूमि की किस्म रास्ता दर्ज करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 11.1.2022 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.29 15:05:30 IST
Reason: SelfAttested